भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2074

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री

2074. श्री किशोरी लाल:

प्रो. सौगत राय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से खराब, समाप्त हो चुकी अवधि, सड़े हुए और दूषित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के बाद किसी कंपनी को नोटिस जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफएसएसएआई ने कंपनी से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारामक उपाय प्रस्तावित हैं या किए गए हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य त्वरित-वाणिज्य और ई-कॉमर्स ग्रॉसरी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ भी ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और प्लेटफॉर्म-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य उत्पादों से बचाने के लिए ऑनलाइन खाद्य और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्मों के बीच खाद्य सुरक्षा अनुपालन, गोदामों के निरीक्षण, पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित

की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की साझा जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की बीच होती है।

एफएसएसएआई ने 3 दिसंबर, 2024 और 23 जुलाई, 2026 की परामर्शी के माध्यम से सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित लेबलिंग और प्रदर्शन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कथित रूप से खराब, समाप्ति हो चुकी अवधि, सड़े हुए और दूषित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के मामले का संज्ञान लिया है। तदनुसार, विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को आवश्यक सुधारात्मक और अनुपालन उपाय संबंधी निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।

खाद्य पदार्थों की विक्रय में शामिल ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को विनियमित करने के लिए, एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स व्यवसाय संचालकों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए प्रक्रियाएं तथा उनकी जिम्मेदारियाँ निर्धारित की हैं। तदनुसार, ई-कॉमर्स एफबीओ को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सूचीबद्ध विक्रेता लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत हों, अनिवार्य खाद्य लेबलिंग प्रदान करें, न्यूनतम शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करें, वितरण कर्मियों को प्रशिक्षित करें, भ्रामक दावों से बचें और अननुपालन वाले उत्पादों को सूची से हटा दें। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्वच्छता मानकों को बनाए रखना, नमूना परीक्षण की सुविधा और उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान करना चाहिए।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) नियमावली, 2011 के अनुसूची 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत एफबीओ द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य स्वच्छता एवं सैनिटरी प्रथाओं को भी विनिर्दिष्ट किया है, जो भंडारण संबंधी कार्यकलाप में शामिल खाद्य व्यवसायों पर लागू होती हैं। उक्त के आधार पर, एक विस्तृत निरीक्षण चेकलिस्ट भी तैयार की गई है और इसे एफएसएसएआई की वेबसाइट https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php पर उपलब्ध कराया गया है, जिसका उपयोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपालन सत्यापन के लिए करते हैं।
